

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) नं. 465 of 2021

सायरा बानो..... याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त और अन्य

..... प्रतिवादीगण

के साथ

रिट याचिका (एम/एस) नं. 466 of 2021

शमशाद हसन..... याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त और अन्य

..... प्रतिवादीगण

के साथ

रिट याचिका (एम/एस) नं. 471 of 2021

शमशाद हसन..... याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त और अन्य ..... प्रतिवादीगण

श्री सागर कोठारी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री हरि मोहन भाटिया, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ।

तारीख: 27 सितंबर, 2021

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

“प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020” के तहत “निर्दिष्ट तिथि” शब्द के निहितार्थ या परिणाम के संबंध में पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करने से पहले, मौजूदा मामलों की परिस्थितियों के सेट में, इस न्यायालय के लिए उन तथ्यों से सटीक रूप से निपटना अनिवार्य

हो जाता है, जिन पर प्रत्येक रिट याचिका में स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है।

2. लिखित याचिका सं. 465 सन् 2021 , याचिकाकर्ता इस मामले के साथ आया है, कि 25 जनवरी, 2021 को आक्षेपित संचार द्वारा और परिणामी आदेश द्वारा, जो इसके परिणामस्वरूप पारित किया गया था, जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न किया गया था, वास्तव में, याचिकाकर्ता की घोषणा के उद्देश्यों के लिए, 2020 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर देयता का आकलन करने के उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के संबंध में 2020 के अधिनियम के सिद्धांतों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही लागू किया है।

3. रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2011-12, के लिए आयकर का अपना रिटर्न दाखिल किया है। संबंधित पिछले वर्ष के लिए, कुल अर्जित आय की घोषणा करते हुए, उसके द्वारा अर्जित आय रुपये 3,07,700/-, थी, जबकि, प्रतिवादी संख्या- 3 के बारे में बताया गया है कि उसने कुल आय के निर्धारण की गणना की है और यह आकलन किया है कि यह आय रुपये 20,86,730/- रुपये है और आयकर अधिनियम की धारा 147 सपठित धारा 143 के अधीन दिए गए निर्धारण आदेश में कुछ वृद्धि करने के पश्चात् याचिकाकर्ता से 7,63,850/- रुपये की अतिरिक्त कर देयता का भुगतान किए जाने की मांग की गई और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (ग) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

21 सितंबर, 2016 के आदेश के तहत जुर्माना लगाया है और इसके अतिरिक्त Rs.4,51,000/- के कर की मांग की है।

4. परिणामस्वरूप उपरोक्त निर्धारण के बाद, कर देयता की कुल मांग, जिसे याचिकाकर्ता पर लगाया जाना था, 2019 में वसूल करने का प्रयास किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने माना, कि प्रतिवादी द्वारा किए गए कर के उक्त मूल्यांकन के खिलाफ, उसने 22 मार्च, 2016 के निर्धारण आदेश के विरुद्ध, आयकर अधिनियम की धारा 249(2) के तहत अपील की थी। जो अपील सं. 10268/सीआईटी (ए)/डीडीएन/2017-18 थी, जिसे प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष दाखिल करके, आयकर अधिनियम की धारा 249 (2) के तहत अपील दायर करने की तिथि 13 दिसंबर, 2017 थी।

5. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 2020 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, कर मामले के प्रेषण के लिए विवाद के निवारण के उद्देश्यों से इसमें प्रदान किया गया मंच, संबंधित या तत्संबंधित आकस्मिकताओं हेतु अब भी 2020 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में प्रतिवादियों द्वारा विचार करने के लिए खुला रहेगा। लेकिन, प्रतिवादी/अपीलीय प्राधिकरण ने आक्षेपित आदेश के आधार, जो चुनौती के तहत है, इस आधार पर 25 जनवरी, 2021 को संचार के माध्यम से उक्त लाभ को प्रतिग्रहण करने और विस्तारित करने से इनकार कर दिया था, कि 31.01.2020 'निर्दिष्ट तिथि' को अपील स्वयं लंबित नहीं

होनी थी, क्योंकि इसे 2020 के अधिनियम के तहत विचार किया गया था।

6. संबंधित रिट याचिका सं. 466 सन् 2021, याचिकाकर्ता ने लगभग समान मामले का तर्क दिया है और 22 जनवरी, 2021 के आदेश/संचार पर सवाल उठाया है, जिसके तहत, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता की समीक्षा याचिका को इलेक्ट्रानिक रूप से उत्पन्न स्टेटस द्वारा सूचित किया है और 2020 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के लिए याचिकाकर्ता की घोषणा पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

7. इस मामले में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि याचिकाकर्ता ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के साथ आयकर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए अपनी कुल आय रुपये 8,87,103/, घोषित कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था। जबकि प्रतिवादी संख्या-3 ने निर्धारण पूर्ण कर इस रिट याचिका के लिए याचिकाकर्ता द्वारा देय कुल आय रुपये 13,06,870/- के अनुसार आयकर का आकलन किया और आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) सपठित 147 के तहत किए गए मूल्यांकन के अनुसार अब तक रु. 2,90,110/- की राशि की मांग भी की गई है, जो 21 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने से संबंधित है, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 22 मार्च, 2016 के एक आदेश द्वारा किए गए मूल्यांकन के खिलाफ, उसने धारा 249 (2) के तहत एक अपील की थी, जो अपील No.10267/CIT (A)/DDN/2017-18 थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 31 दिसंबर, 2017 को दायर किया गया था।

9. लिखित याचिका सं. 471 सन् 2021 , याचिकाकर्ता ने लगभग एक समान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 22 जनवरी, 2021 के संचार को चुनौती दी है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में इलेक्ट्रानिक रूप से जेनरेट किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा आयकर मूल्यांकन घोषणा से संबंधित रिट याचिका के संलग्नक-6 द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 3 और 4 के तहत निहित प्रावधानों की ओर आकर्षित करके इसके निवारण की मांग की थी।

10. वास्तव में, याचिकाकर्ता रिट याचिका में यह मामला लेकर आया है कि जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए उस अर्जित आय का याचिकाकर्ता द्वारा स्व-मूल्यांकन किया गया था, जो रुपये 2,22,014/-, था जबकि प्रतिवादी संख्या. 3 ने आयकर की धारा 147 सपठित धारा

143 (2) के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा देय कर देनदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् 21 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (ग) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹17,72,010/- रुपये के रूप में आयकर का निर्धारण किया है, जिसके पश्चात् याचिकाकर्ता पर Rs.4,40,000/- का जुर्माना लगाया गया है।

11. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि 22 मार्च, 2016 को निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार किए गए निर्धारण आदेश के खिलाफ व्यथित होने के कारण, उसने आयकर अधिनियम की धारा 249 (2) के तहत अपील की है, जो अपील सं. 10266/सीआईटी (ए)/डीडीएन/2017-18,31 दिसंबर, 2017 को प्रतिवादी संख्या. 2 के समक्ष दायर की।

12. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर, विवाद, जो इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक सीमित होगा, कि क्या आयकर की कर देयता के निर्धारण के साथ-साथ परिणामी जुर्माना, जो आक्षेपित आदेशों द्वारा लगाया गया है, को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 3 और 4 के तहत जांच के विषय के रूप में बनाया जा सकता है और क्या यह 2020 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत विचार के लिए होगा या नहीं।

13. अधिनियम की धारा 3 और 4 को नीचे निकाला गया है:

"3. इस अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के अधीन, जहां कोई घोषणाकर्ता इस अधिनियम के उपबंधों की शर्तों के अधीन, अंतिम तिथि को या उससे पूर्व कर बकाया के संबंध में धारा 4 के उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को घोषणा फाइल करता है, तो आयकर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होने के बावजूद इस अधिनियम की शर्तों के अधीन, घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात्:

क्र०सं०	बकाया कर की प्रकृति	31,मार्च,2020 या उसके पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि	1,अप्रैल,2020 या उसके बाद लेकिन अन्तिम तिथि या उसके पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि
अ.	जहां कुल विवादित कर का बकाया शेष हो, ऐसे विवादित कर पर ब्याज लगाया जा सकता है या लग सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है या लग सकता है।	विवादित कर की कुल राशि	कुल विवादित कर और विवादित कर का दस प्रतिशत: बशर्ते कि जहां दस प्रतिशत विवादित कर की कुल राशि ऐसे विवादित कर पर लगने वाले या लगाए गए ब्याज की कुल राशि और ऐसे विवादित कर पर लगाए जाने वाले या लगाए गए जुर्माने से अधिक है, अधिनियम के तहत देय राशि की गणना के उद्देश्य से अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

- ब. जहां कर बकाया में निर्धारित कर, ब्याज या कोई भी मूल्यांकन आयकर अधिनियम की धारा 132 या 132 ए के तहत तलाशी के आधार पर जुर्माना शामिल है।
- विवादित कर की राशि का योग और विवादित कर का पच्चीस प्रतिशत: बशर्ते कि जहां पच्चीस प्रतिशत ऐसे विवादित कर पर लगाए जाने वाले या लगाए गए ब्याज की कुल राशि और ऐसे विवादित कर पर लगाए जाने वाले या लगाए गए जुर्माने की कुल राशि से अधिक हो, तो देय राशि की गणना के उद्देश्य से अतिरिक्त राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- स जहां कर बकाया विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क से संबंधित है।
- विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का तीस प्रतिशत। का पच्चीस प्रतिशत।

बशर्ते कि किसी मामले में जहां अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका आयकर प्राधिकरण द्वारा अपीलीय फोरम के समक्ष किसी मुद्दे पर दायर की जाती है, वहां देय राशि उपरोक्त तालिका में गणना की गई राशि का आधा ऐसी रीति से होगी जो विहित की जाए:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां अपील आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जाती है या अपीलकर्ता द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर विवाद समाधान पैनल के समक्ष आपत्तियां दायर की जाती हैं, जिस पर वह पहले ही आयकर अपीलीय अधिकरण, अपने पक्ष में निर्णय ले चुका है उस निर्णय को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है, वहां देय राशि ऐसे मुद्दे पर

गणना की गई तालिका में दी गई राशि का आधा ऐसी रीति से होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु यह भी कि ऐसे मामले में जहां अपीलकर्ता द्वारा आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष किसी मुद्दे पर अपील दायर की जाती है, जिस पर उसने पहले ही उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर लिया है, जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया गया है, देय राशि ऐसे मुद्दे पर गणना की गई उपर्युक्त तालिका में दी गई राशि का आधा ऐसी रीति से होगी जो विहित की जाए।

4. (1) धारा 3 में निर्दिष्ट घोषणा, घोषणाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र में दाखिल की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी जो विहित की जाए।

;2द्ध घोषणा फाइल करने पर, विवादित आय या विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क और कर बकाया के संबंध में आयकर अपीलीय अधिकरण या अपील आयुक्त के समक्ष लंबित किसी भी अपील को उस तारीख से वापस ले लिया माना जाएगा जिस दिन धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रमाण पत्र नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

(3) जहां घोषणाकर्ता ने कर बकाया के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अपीलीय मंच के समक्ष कोई अपील या कोई रिट याचिका दायर की है, वहां वह धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् जहां कहीं भी आवश्यक हो, न्यायालय की अनुमति से ऐसी अपील या रिट याचिका वापस लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी को भुगतान की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

4. जहां घोषणाकर्ता ने मध्यस्थता, सुलह या मध्यस्थता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी इकरारनामा के अधीन, चाहे वह निवेश के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, कोई सूचना दी हो, वहां वह धारा 5 की उपखंड (1) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों में दावा, यदि कोई हो, वापस लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

5. उपधारा (2), (3) और (4) के उपबंधों पक्षपातपूर्ण प्रभाव डाले बिना, घोषणाकर्ता कर बकाया के संबंध में किसी उपाय या किसी दावे की मांग करने या उसका अनुसरण वचन देना अपने अधिकार को, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी इकरारनामा के अधीन, चाहे वह निवेश के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, उपलब्ध हो, माफ करने का वचन प्रस्तुत करेगा और वचन ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाएगा जो अधिनियम किया जाए।

6. उपधारा (1) के अधीन घोषणा कभी नहीं की गई मानी जाएगी यदि .

(a) घोषणा में दी गई कोई विशेष सामग्री किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है;

- (b) घोषणाकर्ता इस अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है;
- (c) किसी भी रीति में घोषणाकर्ता वचन देना जो उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचन के अनुसार नहीं है और ऐसे मामलों में, धारा 4 के अधीन वापस ली गई सभी वचन देनावाहियों और दावों और घोषणाकर्ता के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अधीन सभी परिणामों को पुनर्जीवित किया गया समझा जाएगा।
- (7) कोई भी अपीलीय मंच या मध्यस्थ, सुलहकर्ता या मध्यस्थ घोषणा में उल्लिखित कर बकाया से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, जिसके संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के तहत आदेश दिया गया है या उस खंड के तहत निर्धारित राशि का भुगतान किया गया है।

14. यदि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है, तो यह विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि कर देयता के निर्धारण के उद्देश्य से प्रक्रिया के निहितार्थ या धारा 3 के तहत की गई घोषणा पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि कर अपील, निर्दिष्ट मूल्यांकन वर्ष यानी 2020 के लिए निर्धारण आदेश के खिलाफ निर्धारणकर्ता द्वारा वरीयता दी गई हो। आयकर अधिनियम की धारा 249 (2) के तहत, निर्दिष्ट तिथि पर लंबित था, जिसे अधिनियम 31.01.2020 के रूप में प्रदान करता है।

15. 2020 के अधिनियम के अनुसार "निर्दिष्ट तिथि" का संबंध है, जिसे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (एन) के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम, जो निम्नानुसार है:

"(एन)" "निर्दिष्ट तिथि" "का अर्थ जनवरी, 2020 का 31 वां दिन है",

16. इसलिए, 2020 के अधिनियम की धारा 2 (एन) के तहत प्रदान की गई उस निर्दिष्ट कट ऑफ तिथि को देखते हुए, अधिनियम के तहत ही निर्दिष्ट तिथि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर के तर्कों को ध्यान से देखते हुए, सभी तीन रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं की अपील 2017 से पहले से ही लंबित हैं, जिसका अर्थ है, अधिनियम के तहत प्रदान की गई निर्दिष्ट तिथि 31.01.2020 से बहुत पहले से ही लंबित चली आ रही हैं।

17. इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि चूंकि अपील स्वयं अधिनियम के अनुसार लंबित थी, इसलिए कर देयता के निर्धारण के लिए उनका दावा अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत है, जो ऊपर निकाला गया है।

18. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य का इस आधार पर जोरदार खंडन किया है कि यदि 2020 के अधिनियम के तहत वर्णित अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में विचार में लिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि निर्धारण अधिकारी, या जब आयुक्त (अपील) या आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करने के लिए एक प्रतिबंध बनाया गया है, क्योंकि अपीलकर्ता का वर्णन निम्नलिखित तरीके से किया गया है। संबंधित प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

(ii) एक व्यक्ति जिसके मामले में एक आदेश दिया गया है

निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, या आयुक्त ,अपील या आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा एक अपील में या उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले एक आदेश पारित किया गया है, और उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका दायर करने का समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है;

2020 के अधिनियम के तहत लाभ याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि वे 2020 के अधिनियम के अनुसार अपीलार्थी नहीं थे।

19. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस सटीक तर्क के जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 2 की उपधारा (1) के (ii) के तहत प्रदान किए गए पैरामीटर, अधिनियम के तहत वर्णित "अपीलार्थी", तत्काल मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, इस कारण से कि, उसको प्रस्तुत करना अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत प्रदान की गई "अपीलार्थी" की परिभाषा दी गई व्याख्या पर आधारित है, जो निम्नानुसार है:

(i) ऐसा व्यक्ति जिसके मामले में अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका उसके द्वारा या आयकर प्राधिकरण द्वारा या दोनों द्वारा अपीलीय मंच के समक्ष दायर की गई है और ऐसी अपील या याचिका निर्दिष्ट तिथि पर लंबित है;

20. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने एक अपवाद तैयार किया था जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा 13 दिसंबर, 2017 को उनके संबंधित मूल्यांकन वर्षों के संबंध में दायर की गई अपीलों को विलंब माफी प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया था, इसलिए इसे अधिनियम की धारा 2 (एन) के तहत प्रदान की गई "निर्दिष्ट तिथि" की

परिभाषा के दायरे में लाने के लिए निर्दिष्ट तिथि पर अपील लंबित नहीं माना जाना चाहिए।

21. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के (ii) के प्रावधानों के आलोक में, उसमें प्रदान किया गया अपवाद, याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगा और इसलिए, वह उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिया गया है, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए और 2020 के अधिनियम के अनुक्रम में समीक्षा याचिका की निरस्त की जाय।

22. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया है कि जहां तक आयकर से संबंधित अधिनियम का संबंध है और यदि इसे 2020 के अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में जाना चाहिये, जिसने "निर्दिष्ट तिथि" को वर्गीकृत किया है, क्योंकि अपील की प्रकृति और उसके लंबित होने के चरण से संबंधित कर अधिनियम द्वारा कोई और वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए, भले ही अपील को विलंब माफी आवेदन के साथ भी प्राथमिकता दी गई है, तब भी इसे 2020 के अधिनियम की धारा 2 के तहत निहित प्रावधानों के अपवाद के भीतर लाने के लिए एक लंबित अपील के रूप में माना जाएगा।

23. इसलिए, अपने तर्क के समर्थन में, मुख्य रूप से याचिकाकर्ता ने संविधान पीठ के एक फैसले का संदर्भ दिया था, जिसे वर्ष 1954 में राजा कुलकर्णी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे एआईआर 1954 एससी 73, में प्रस्तुत किया गया था, जहां राजा कुलकर्णी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी, कि अपीलों का वर्गीकरण और इसकी लंबित होने की प्रकृति क्या होगी, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए और किस प्रकार से लंबित है। यद्यपि उक्त निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम

के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में था, किन्तु मुख्य रूप से उक्त निर्णय के पैरा 6 में दर्ज निष्कर्ष, जो इसके अधीन निकाला गया है, यदि इसे ध्यान में रखा जाता है, तो इसके बजाय यह निर्धारित किया गया है कि अपील की स्थिति से संबंधित जिन व्यापक सिद्धांतों पर विचार किया जाना है, उन अपीलों को अपने दायरे में लाना शामिल होगा जिन्हें विलंब माफी आवेदन के साथ प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि विधानमंडल ने स्वयं अपील की लंबित होने और इसकी प्रकृति के बारे में कोई अपवाद या विशिष्टता नहीं बनाई है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला था कि भले ही विलंब माफी आवेदन के साथ अपील को प्राथमिकता दी गई हो, इसे लाभ लेने के लिए अपील के समान ही माना जायेगा, जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत विचार किया गया था और यह अधिनियम के तहत एक वैध और सक्षम अपील के लंबित होने के समान है। पैरा-6 यहां निकाला गया है—

“6. यह तर्क दिया है कि धारा 24 एक वैध और सक्षम अपील के लंबित होने पर विचार करती है लेकिन चूंकि कानून के तहत कोई वैध या सक्षम अपील लंबित नहीं थी, इसलिए अपीलार्थियों ने धारा 27 के तहत कोई अपराध नहीं किया। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। एक सादे और प्राकृतिक निर्माण पर धारा 24 इसके आवेदन के लिए इससे अधिक की अपेक्षा नहीं करती है कि एक अपील लंबित होनी चाहिए और इस योग्यता के परिचय को उचित ठहराने के लिए भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह वैध या सक्षम होना चाहिए। क्या अपील वैध या सक्षम है? यह पूरी तरह से अपील न्यायालय के लिए एक प्रश्न है, जिसके समक्ष अपील निर्धारण के लिए दायर की जाती है, और यह निर्धारण अपील की सुनवाई के बाद ही संभव है, लेकिन किसी पक्ष को अपील दायर करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है जो अंततः अक्षम पाया जा सकता है, उदाहरण के लिये जब इसे परिसीमा द्वारा वर्जित माना जाता है या यह उस न्यायालय के समक्ष नहीं है या सिविल

प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत तथ्य के निष्कर्ष से तर्क निकाला जाता है। केवल इस तथ्य से कि इस तरह की अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं थी। भारतीय परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 182 (2) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए तीन साल की सीमा की अवधि निर्धारित करता है जो अपील न्यायालय के अंतिम डिक्री या आदेश की तारीख से चलती है, "यदि कोई अपील की गई हो"। प्रिवी काउंसिल ने बाद के वाक्यांश का अर्थ यह समझा कि किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की डिक्री या आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए अपीलीय न्यायालय में कोई भी आवेदन उपरोक्त प्रावधान के अर्थ में एक "अपील" है, भले ही यह अनियमित या अक्षम हो, या निष्पादित करने के आवेदन से प्रभावित व्यक्ति पक्षकार नहीं थे, या पूरी डिक्री या आदेश को खतरे में नहीं डालता था। उन्होंने अपील के चरित्र के रूप में या इसके पक्षों के रूप में किसी भी योग्यता को शब्दों में पढ़ने से इनकार कर दिया। [नागेन्द्र नाथ डे और अन्य बनाम सुरेश चन्द्र डे और अन्य]। हम मानते हैं कि "अपील" शब्द का अर्थ अपने स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थों में किसी भी योग्य शब्द को शामिल किए बिना किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारे सामने उठाए गए विवाद प्रस्तुत किया जाना है। अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए तरीके से "अपील" शब्द का अर्थ न निकालने का एक और कारण यह है कि विधायिका ने इस प्रावधान को प्रस्तुत करते समय विचार किया कि औद्योगिक शांति को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मामला अपीलीय अदालत में लंबित था, इस तथ्य के बावजूद कि क्या ऐसी अपील कानून में सक्षम थी। यदि ऐसा नहीं होता, तो पक्षकार न्यायालय के निर्देश के बिना अपील की सक्षमता के बारे में निर्णय लेने के अधिकार का दावा करके, आसानी से विधायिका के उद्देश्यों को

विफल कर, शांति का भंग करके और धारा 27 द्वारा लगाए गए दंड से बच सकते थे। अपीलार्थियों के लिए श्रमिकों को इस तथाकथित प्रमाणिक विश्वास में उकसाने का कोई औचित्य नहीं था कि धारा 27 उस अपील पर लागू नहीं होती थी जिसे वे अक्षम मानते थे। मामले के इस दृष्टिकोण में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपील का अधिकार प्रदान करने से उन कार्यवाहियों के पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और लंबित कार्यवाही में आदेश को अपील योग्य हो बना सकते हैं।"

24. वास्तव में, यह सिद्धांत, जो राजा कुलकर्णी (सुप्रा) के निर्णय के पैरा 6 में निर्धारित किया गया है, एक अन्य पूर्व निर्णय पर आधारित था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागेन्द्र नाथ डे बनाम सुरेश चन्द्र डे के मामले में दिया गया था, जिसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अंतःस्थापन द्वारा या उन शब्दों को सम्मिलित करके या अर्हता प्राप्त करके जो शब्द का अर्थ न लगाकर विधायिका के इरादे के विपरीत उठाए गए संबंधित तर्कों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का इरादा है, अपीलीय उपबंध द्वारा जो सुझाव दिया गया है उसकी तुलना में 'अपील' अपने समुचित ढंग से अपीलीय उपबंधों के आशय के विपरीत चलेगी, भले ही अपील विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र के साथ लंबित हो, फिर भी यह एक अपील होगी।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस अनुपात पर बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में विचार किया गया, जैसा कि दीवानी याचिका सं 4411 सन् 2003, आयकर आयुक्त, राजकोट बनाम शत्रुशैल्य दिग्विजय सिंह जडेजा के मामले में दिया गया, जैसा कि 1 सितंबर, 2005 को उनके निर्णय द्वारा तय किया गया था। इस मामले में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगभग समान स्थिति का सामना करना पड़ा था, जहां विलंब माफी आवेदन के साथ कर कानूनों के तहत अपील विचाराधीन थी और

यह मुद्दा फिर से था कि क्या देरी माफी आवेदन के साथ लंबित ऐसी अपील को लंबित अपील माना जा सकता है, ताकि इसे 2020 के अधिनियम की धारा 2 (I) (ii) के दायरे में लाया जा सके। वास्तव में, सिद्धांतों के आधार पर, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1954 के फैसले, में निर्धारित किया गया है। राजा कुलकर्णी बनाम बाम्बे राज्य (सुप्रा) माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 95 (i) (ग) के अधीन उपबंधित अपील के उपबंधों की व्याख्या करके, जैसा कि उसमें विचाराधीन था, अपने अनुपात को निकालने से इसके निहितार्थों पर आगे विचार किया है, यदि अपील या पुनरीक्षण योजना की धारा 88 के अधीन प्रतिपादित करने की तारीख को लंबित है, क्योंकि यह उस सुसंगत समय पर प्रवर्तनीय था, इसे कानूनी रूप से कानून के प्रावधानों के तहत लंबित अपील माना जाएगा, भले ही यह विलंब माफी आवेदन के साथ विचाराधीन हो, जिस पर अभी तक अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में, राजा कुलकर्णी (सुप्रा) के निर्णय के अनुपात पर विश्वास करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां विलंब माफी आवेदन के साथ भी अपील को प्राथमिकता दी गई है, तो भी यह एक वैध या सक्षम अपील होगी, यह एक ऐसा प्रश्न है, जो पूरी तरह से और विशेष रूप से उस अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार के लिए निर्भर है, जिसके समक्ष अपील लंबित है, बल्कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को कानून के लिए कोई अतिरिक्त मत पेश नहीं करना है, बजाय इसके कि अपील दायर करते समय कानून के तहत अपीलीय प्रावधान क्या प्रदान करते हैं और इनका लंबित होना किसी अपील के लंबित होने का अपवाद नहीं बनता है। वास्तव में, इसने फिर से यह अभिनिर्धारित किया है कि एक अपील को अभी भी विचारणीय माना जाएगा, भले ही विलंब माफी आवेदन विचाराधीन हो, और उस पर आदेश पारित कर दिया गया हो।

27. उस फैसले का हवाला देते हुये जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त (सुप्रा) के फैसले में सन्दर्भित किया किया है जहां, डॉ० रेणुका दत्ता आदि बनाम आयकर आयुक्त आदि (2003) 2 एस०सी०सी० 19 का संदर्भ दिया गया है। वास्तव में, उक्त निर्णय में भी, जो लगभग एक समान मुद्दे पर विचार कर रहा था, कि किसी अपील की स्थिति क्या होगी और उसके लंबित होना होने का प्रभाव क्या होगा, धारा 95 के अपीलीय प्रावधानों के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, उक्त मामले में विचार का विषय था, जहां विशेष रूप से धारा 95 की उपधारा (ग) में, यह उपबंध किया गया था कि ऐसे मामले में, जहां कोई अन्य अपील या संदर्भ या रिट याचिका स्वीकार नहीं की गई है और लंबित है, अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष, विचार का विषय था, जहां मा० न्यायालय ने इसके तहत निकाले गए मामले में इस मुद्दे पर विचार किया था।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में, वास्तव में, पैरा 19 में यह निर्धारित किया गया है कि अपील की विचाराधीनता का अर्थ स्वयं उस रीति से लगाया जाएगा, कि यदि इसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता दी गई है, जो अपील दायर करने के अपीलीय प्रावधानों पर विचार और प्रावधान करता है कि, जब अपीलीय प्रावधान ने स्वयं अपील की स्थिति या उस तरीके को वर्गीकृत नहीं किया है जिसमें इसकी स्थिति निर्धारित की जानी है, तो इसे निर्दिष्ट तिथि पर मौजूदा अपील के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, उक्त सिद्धांत जो उक्त निर्णय के पैरा 19 में निर्धारित किया गया है, उसने यह उपबंध किया है कि न्यायालयों को किसी भी प्रकार से यह व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है कि अपील की स्थिति क्या होगी या जब वास्तविक अपील कानूनी रूप से अस्तित्व में आती है, जब मुख्य अपील स्वयं सक्षम अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसे विशेष रूप से अपील न्यायालय के विषय ठीक के लिये छोड़ दिया गया है, तो स्वयं अपनी योग्यता पर निर्णय लिया जाना चाहिए; लेकिन केवल एक अपवाद के प्रयोजनों के लिए इसे अधिनियम

की धारा 95 (i) (c) के दायरे में लाने के लिए, न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया है कि अपील की विचाराधीनता, भले ही वह किसी अपील का दर्जा प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से परिपक्व न हो, तो कोई प्रासंगिकता और प्रभाव नहीं होगा। उक्त निर्णय का पैरा 19 यहाँ निकाला गया है:

"19. हालांकि, धारा 87 (एम) के तहत सभी "टैक्स ऐरियर" योजना के लाभ के हकदार नहीं हैं। यदि कोई अपील टैक्स ऐरियर के संबंध में लंबित नहीं है तो योजना का लाभ धारा 95 (1) (सी) के तहत उपलब्ध नहीं है। यदि कोई अपील लंबित है तो यह नामित प्राधिकारी अपीलों के संभावित परिणाम पर न प्रश्न करे और न ही उच्च न्यायालय के लिए किसी भी दशा में, यह अभिनिर्धारित करना कि अपील "बनावटी" या "निष्फल" थी, जैसा कि उसने किया है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि 31 दिसम्बर, 1998 को उठाई गई संपूर्ण मांग को अपीलकर्ता द्वारा सहमति दी गई थी, 31 दिसम्बर, 1998 को मांग की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने न केवल उन मदों को सम्मिलित किया जिन्हें सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुनर्निर्धारण के लिए प्रेषित किया गया था और जिन्हें अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, बल्कि उन मदों को भी सम्मिलित किया जिनकी सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुष्टि गई थी और उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था और जो अधिकरण के समक्ष अपील का विषय थे। इस प्रकार धारा 234 क, 234 ख और 234 ग के अधीन ब्याज अधिरोपित करने का प्रश्न और ऊपर निर्दिष्ट मदों (iii) और (vii) के संबंध में निर्धारण, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार भी, अपील का विषय था। इसलिए मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा

95 (1) (ग) के तहत उन मदों से संबंधित टैक्स ऐरियर के संबंध में कोई अपील लंबित नहीं थी।"

29. गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय, विशेष रूप से, जैसा कि रितेश बकुलेशभाई मेहता बनाम प्रधान आयुक्त आयकर में दिया गया था। लगभग उसी मुद्दे पर विचार कर रहे थे, जो मौजूदा रिट याचिका में विचार का विषय है। उस मामले में भी खण्ड पीठ ने इस मुद्दे की व्याख्या करना बंद कर दिया गया था कि क्या निष्कर्ष, धारा 2 की उपधारा (एन) के तहत प्रदान की गई "निर्दिष्ट तिथि" को अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में ध्यान में रखा जाएगा, और तदनुसार, अपने सिद्धांत को निर्धारित करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आयकर आयुक्त (सुप्रा) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 10 को मानते हुये पैरा 13,15 और 16 से उक्त फैसले में की गई टिप्पणियों को निकालते हुए, यह निर्धारित किया है कि एक अपील के लंबित होने की स्थिति में इसकी कानूनी स्थिति बनी रहे ताकि कोई संदेह न रहे। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 10 और 11 को नीचे उजागर किया गया है:

10. इस मोड़ पर, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आयकर आयुक्त बनाम दिग्विजयसिंह जडेजा, को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हेमानी द्वारा आधार बनाया गया, जिसमें S.C. के पास इस मुद्दे से निपटने का अवसर था, कि क्या, विभाग कर विवाद समाधान योजना नामक समान योजना के तहत दायर घोषणा को अस्वीकार कर सकता था, जिसे वित्त [No.2] अधिनियम 1998 द्वारा इस आधार पर पेश किया गया था कि, संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन/अपील समय से वर्जित थी या मान्य नहीं थी।

उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त योजना के उद्देश्य के साथ-साथ पहले के अन्य निर्णयों पर भी विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

"13. हमारे विचार में, यह योजना वास्तव में एक वसूली योजना थी, हालांकि इसे "वाद निस्तारण योजना" के रूप में नामित किया गया था और यह पहले की "स्वैच्छिक खुलासा योजना" के समान नहीं थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त योजना अपने आप में एक पूर्ण संहिता थी। इसका उद्देश्य आई टी अधिनियम/डब्ल्यू टी अधिनियम के अन्तर्गत, अपील, संदर्भ, संशोधन और रिट याचिकाओं के रूप में सभी लंबित मामलों को समाप्त करना था। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें योजना की धारा 95 (i) (ग) जांच करनी होगी जो आईटी अधिनियम की धारा 246 के तहत अपील, धारा 264 के तहत संशोधन, धारा 260ए आदि के तहत अपील और डब्ल्यू टी अधिनियम के तहत समान प्रावधानों से अलग था। आई टी अधिनियम के तहत अपील, संशोधन और संदर्भ के बीच अन्तर है। हालांकि उन मतभेदों को मिटा दिया गया और योजना की धारा 95 (i) (ग) के तहत अपील, संशोधन और संदर्भ को बरकरार रखा गया। धारा 95 (i) (ग) में अपील, संशोधन और संदर्भ का उद्देश्य आई टी अधिनियम/संपत्ति कर अधिनियम के तहत विभिन्न रूपों और विभिन्न चरणों मेंवादों का निस्तारण करना था इसलिये आई टी अधिनियम या स्वैच्छिक खुलासा योजना के तहत अपील और संशोधन के दायरे पर फैसले इस मामले पर लागू नहीं होंगे।

15. डॉ. श्रीमती रेणुका डेल्टा (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने व्याख्या पर निर्णय दिया है धारा 95 (i) (c) कि

यदि अपील या पुनरीक्षण के तहत घोषणा के दाखिल करने की तारीख पर योजना की धारा 88 के तहत लंबित है तो यह डी ए का कार्य नहीं है कि वह यह माने की अपील/संशोधन "फर्जी" "अप्रभावी" या "निष्फल" था, जैसा कि उसने किया था।

16. राजा कुलकर्णी बनाम राज्य बॉम्बे के मामले में ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 73 में प्रतिवेदित इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब कोई धारा किसी अपील के विचाराधीन होने पर विचार करती है, तो उसके आवेदन के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि अपील लंबित होनी चाहिए और ऐसे मामले में यह प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह वैध या सक्षम हो। क्या कोई अपील वैध या सक्षम है? यह पूरी तरह से अपील न्यायालय के लिए एक प्रश्न है, जिसके समक्ष अपील दायर की जाती है और यह निर्धारण अपील की सुनवाई के बाद ही संभव है, लेकिन किसी पक्ष को अपील दायर करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है जो अंततः अक्षम पाया जा सकता है, उदाहरण के लिये, जब इसे परिसीमा द्वारा वर्जित माना जाता है। केवल इस तथ्य से कि ऐसी अपील को किसी भी आधार पर अप्राप्य माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं थी।

17. उसी प्रभाव से मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा निर्धारित कानून तिरुपति बालाजी डेवलपर्स (पी) लिमिटेड v. बिहार राज्य और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई अपील अनियमित और अक्षम होने के बावजूद अपील नहीं रह जाती है।

11. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपील को लंबित कहा जा सकता है, भले ही इसे दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं किया गया हो और भले ही यह कथित रूप से अनियमित या अक्षम हो। अतः तत्काल मामले में भी, प्रतिवादी उक्त अधिनियम के तहत दायर याचिकाकर्ता के घोषणा प्रपत्र को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता था कि अपील वैध या सक्षम नहीं थी, क्योंकि अपील दायर करने में हुई देरी को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा माफ नहीं किया गया था। न्यायालय की राय में, प्रतिवादी को केवल इस बात पर विचार करना था कि क्या, याचिकाकर्ता ने अपील की थी, जो 'निर्दिष्ट तिथि' यानी 31.1.2020 को लंबित थी। यह निर्णय करना प्रतिवादी का काम नहीं था कि क्या ऐसी अपील कानून की नजर में अनियमित या अक्षम या अमान्य थी।

30. अंततः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुपति बालाजी डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, जैसा कि (2004) 5 एस. सी. सी. 1 में सूचित किया गया है, का संदर्भ देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी विधि की व्याख्या उस अवधि को दी जानी चाहिए जो किसी दी गई तारीख को विनिर्दिष्ट की गई थी, जो तत्काल मामले में अधिनियम की धारा 2 (I) (एन) के अधीन दी गई होगी, अपील लंबित होने के बावजूद, 2020 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के मापदंडों के भीतर घोषणा करने के लिए विलम्ब माफी आवेदन के साथ विचार किया जाना

चाहिए, क्योंकि विलम्ब के निहितार्थ अभी भी अपीलीय प्राधिकरण के विचार के क्षेत्र में विचार के लिए आते हैं, जिनके समक्ष अधिनियम की धारा 249 (2) के अधीन अपील विचाराधीन है।

31. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तुषार एग्रो केमिकल्स बनाम प्रधान आयुक्त आयकर, में दिए गए खण्ड पीठ के एक अन्य फैसले का संदर्भ दिया था और विशेष रूप से, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 5 की ओर आकर्षित किया है, जो फिर से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि 2020 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी, 2020 के रूप में "निर्दिष्ट तिथि" शब्द की व्याख्या 2020 के अधिनियम की धारा 3 और 4 का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए कैसे की जानी चाहिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय के पैरा 5,6 और 7 का संदर्भ दिया था, जो यहां निकाला गया है:

5. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री तुषार हेमानी के साथ सुश्री वैभवी के. पारिख उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय को उक्त अधिनियम की योजना की ओर ले जाते हुए, विशेष रूप से, धारा 2 (i) (a) में निहित "अपीलार्थी" की परिभाषा प्रस्तुत की कि चूंकि याचिकाकर्ता की अपील, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 'निर्दिष्ट तिथि' 31.1.2020, पर लंबित थी। याचिकाकर्ता एक 'अपीलार्थी' था जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया था, और घोषणा दायर करने के लिए पात्र था। उनके अनुसार, इसे गलत तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि सी. आई. टी. (अपील) से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था कि क्या उक्त अपील में देरी की माफी का कोई आदेश पारित किया गया था या नहीं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हेमानी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय "आयकर आयुक्त

बनाम शत्रुशैल्य दिग्विजय सिंह जडेजा” [2005] 147 टैक्समैन 566 (एस. सी.) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के अनरिपोर्टेड वाद श्याम सुंदर सेठी बनाम प्रधान आयकर आयुक्त और अन्य, W.P.(C) 2291/2021 और CM Appl.6677/2021, यह प्रस्तुत करने के लिए कि अपीलकर्ता की घोषणा को प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था जब अपील लंबित थी, भले ही अपीलीय फोरम द्वारा देरी को माफ नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलीय मंच के समक्ष विलम्ब माफी की मांग करने वाले आवेदन को अलग से दर्ज करने की कोई प्रथा नहीं है।

6. तथापि, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्रीमती मौना एम भट्ट ने कहा कि चूंकि अपील दायर करने में हुई देरी को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा माफ नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वैध अपील, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी और न ही याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 2 (i) (a) के अर्थ के भीतर 'अपीलार्थी' के रूप में माना जा सकता है।

7. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों को दोहराने से पहले, उक्त अधिनियम की धारा 2 (i) (क) में निहित 'अपीलार्थी' की परिभाषा के साथ-साथ उसकी धारा 2 (i) (न) में निहित 'विनिर्दिष्ट तिथि' की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

"2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, .

(क) "अपीलार्थी" का अर्थ है

;पद्धतऐसा व्यक्ति जिसके मामले में अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका उसके द्वारा या आयकर प्राधिकरण द्वारा या दोनों द्वारा अपीलीय मंच के समक्ष दायर की गई है और ऐसी अपील या याचिका निर्दिष्ट तिथि पर लंबित है,

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसके मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, या आयुक्त (अपील) या आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील में आदेश पारित किया गया है, या उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में, निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले, और उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका दायर करने का समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है;

;पपपद्ध ऐसा व्यक्ति जिसने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 144 ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी आपत्तियां दायर की हैं और विवाद समाधान पैनल ने निर्दिष्ट तिथि से पहले इन पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है या,

;पअद्ध ऐसा व्यक्ति जिसके मामले में विवाद समाधान पैनल ने आयकर अधिनियम की धारा 144 सी की उपधारा (5) के तहत निर्देश जारी किए हैं और निर्धारण अधिकारी ने निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले उस धारा की उपधारा (13) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया है,

;अद्ध एक व्यक्ति जिसने आयकर अधिनियम की धारा 264 के तहत संशोधन के लिए आवेदन दायर किया है और ऐसा आवेदन निर्दिष्ट तिथि पर लंबित है,

[व्याख्या— शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपीलार्थी" पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा और न कभी समझा जाएगा जिसके मामले में रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका या कोई अन्य कार्यवाही उसके द्वारा या आयकर प्राधिकरण द्वारा या दोनों द्वारा किसी अपीलीय मंच के समक्ष दायर की गई है, जो आयकर अधिनियम के अध्याय XIX-A के तहत निस्तारण आयोग के आदेश से उत्पन्न होती है और ऐसी याचिका या अपील, या तो लंबित है या उसका निस्तारण किया जा चुका है।]

32. खण्ड पीठ का यह फैसला भी आयकर आयुक्त बनाम शत्रुशैल्य दिग्विजय सिंह जडेजा (सुप्रा) के फैसले पर आधारित है, जहां फिर से उक्त फैसले के पैरा 13,15 और 17 पर विश्वास किया गया है और सिद्धांत प्रस्ताव जैसा कि उक्त फैसले के पैरा 11 में निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है—

"11. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अपील को लंबित कहा जा सकता है, भले ही इसे दायर करने में हुई देरी को माफ नहीं किया गया हो और भले ही यह कथित रूप से अनियमित या अक्षम हो। अतः तत्काल मामले में भी प्रतिवादी केवल इस आधार पर उक्त अधिनियम के तहत दायर याचिकाकर्ता के घोषणा प्रपत्र को खारिज नहीं कर सकता था कि, अपील वैध या सक्षम नहीं थी, क्योंकि अपील दायर करने में हुई देरी को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा माफ नहीं किया गया था। न्यायालय के मत में प्रतिवादी को केवल इस बात पर विचार करना था कि क्या याचिकाकर्ता ने अपील की थी जो 'निर्दिष्ट तिथि' यानी 31.1.2020 पर लंबित थी, और वही यह निर्णय करना प्रतिवादी का काम नहीं था कि क्या ऐसी अपील कानून की नजर में अनियमित या अक्षम या अमान्य थी "

33. उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया है कि, प्रतिवादी याचिकाकर्ता की उस घोषणा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता था, जो 2020 के अधिनियम के तहत दायर की गयी। ऐसी अपील को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आयकर अधिनियम की धारा 249 (2) के तहत दायर की गयी थी, एक सक्षम अपील नहीं थी, क्योंकि विलंब माफी आवेदन विचाराधीन था। उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि केवल विलम्ब माफी आवेदन के साथ अपील लंबित होने के कारण, यह

'निर्दिष्ट तिथि' की शर्तों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अन्तर्गत होगा क्योंकि वास्तव में, आयकर अधिनियम की धारा 249 (2) के तहत याचिकाकर्ता की अपील उस समय विचाराधीन थी, जब अधिनियम 17.03.2020, के प्रभाव से लागू किया गया था। इसलिए घोषणा जिसे याचिकाकर्ता द्वारा 2020 के अधिनियम के तहत की जाने की मांग की गई थी, अदालत द्वारा तर्कसंगत रूप से विचार किया जाना चाहिए था, कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील को इस बहाने से खारिज करने के बजाय कि अपीलकर्ता द्वारा अपील को विलंब माफी आवेदन के साथ प्राथमिकता दी गई थी, इसे अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) (आई) के तहत विचार के रूप में लंबित अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे ऊपर चर्चा किए गए कानूनी सिद्धांतों के आधार पर गलत व्याख्या माना जाएगा इसलिए आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।

34. उपर्युक्त सिद्धांतों और कानूनों की एक सुसंगत पूर्व स्थिति को देखते हुए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित किया गया था, मेरे विचार में 2020 के अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदत्त किसी मामले या अपील या याचिका की विचाराधीनता को तर्कसंगत रूप से लंबित माना जाना चाहिए, भले ही अपील विलंब माफी आवेदन के साथ लंबित हो और मैं गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय से भी सहमत हूं कि इस तरह की आकस्मिकता या स्थिति से निपटने के दौरान, जिसे वह बढ़ा नहीं सकता है, इस प्रश्न का समाधान निकालने के लिये कि क्या अपील उस समय विचाराधीन थी जब यह अधिनियम 17 मार्च 2020 के प्रभाव से लागू किया गया था, अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करके एक अपीलीय क्षेत्राधिकार पर विचार करने के अपने निर्धारण का दायरा बढ़ा सकता है।

35. जहां तक धारा 2 (1) (क) (i) के तहत प्रावधानों के आलोक में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का संबंध है, मेरा विचार है कि पहले दिए गए कारणों से, उक्त प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा, इस कारण से निकाला गया उपरोक्त अपवाद, केवल उन मामलों के लिये था, जहां निर्धारण अधिकारी या आदेश, जिनमें अपील आयुक्त या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है, एक अपील या संशोधन प्रासंगिक समय पर लंबित नहीं था, लेकिन चूंकि, तत्काल मामले में, ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है क्योंकि अपील स्वयं 2017 से विलंब माफी आवेदन के साथ, विचाराधीन थी, अधिनियम की धारा 2 (1) (क) (ii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

36. मामले के उस दृष्टिकोण में और विधि न्यायालयों द्वारा सुसंगत रूप से सौंपे गए सिद्धांतों के आधार पर जैसा कि पहले ही ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, रिट याचिकायें स्वीकार की जाती हैं। याचिकाकर्ता के अधिनियम 2020 की धारा 3 और 4 के तहत घोषणा के आवेदन पर अपनी योग्यता के आधार पर पुनर्विचार के लिये मामला प्रतिवादी संख्या 01 को वापस भेजा जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

27.09.2021